

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सं0सं09/आ0-2-22/2013
संकल्प

डा0 रेहान अशरफ, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ नियंत्रण ईकाई जहानाबाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-499(9) दिनांक 11.04.05 संशोधित संकल्प सं0 596(9) दिनांक 13.5.2006 द्वारा एम0एस0डी0 कोलकता से अनियमित दवा क्रय संबंधी वित्तीय अनियमितता (misconduct) के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. डा0 अशरफ विभागीय कार्यवाही के क्रम में निबंधित डाक एव प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किये जाने के बाद भी संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित पाया गया है।

3. विभागीय प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक 724(9) दिनांक 7.8.14 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई, जिसके आलोक में डा0 रेहान अशरफ का प्रत्युत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त नहीं हुआ।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरान्त एम0 एस0 डी0 कोलकता से अनियमित दवा क्रय संबंधी वित्तीय अनियमितता (misconduct) के प्रमाणित आरोप एवं लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए डा0 रेहान अशरफ तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण ईकाई जहानाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम 76 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2007 की कंडिका 2 के नियम 14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना की सहमति के उपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई।

अतः डा0 रेहान अशरफ तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण ईकाई जहानाबाद को पाँच वर्षों से अधिक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं एम0 एस0 डी0 कोलकता से अनियमित दवा क्रय संबंधी वित्तीय अनियमितता (misconduct) के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2007 की कंडिका 2 के नियम 14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:-संकल्प की प्रति डा0 रेहान अशरफ एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के उप सचिव

दिनांक: 06/08/2018

ज्ञापांक: 847(9) /स्वा0, पटना ,

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवरसचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी जहानाबाद/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन जहानाबाद/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 रेहान अशरफ, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ नियंत्रण ईकाई जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधानसचिव (स्वा0) के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव